

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 15 (12) 2022-23 / गोप्र / प्रमुवस /

दिनांक:

-:: कार्यालय-आदेश ::-

राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 के प्रावधानान्तर्गत गठित पुनर्विलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.9.2023 की अभिशंषा अनुसार निम्न लोकसेवकों को वर्ष 2022-23 की रिक्तियों के विरुद्ध वनपाल से क्षेत्रीय वन अधिकारी-द्वितीय के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के पे-मैट्रिक्स के पे-लेबल एल-10 (ग्रेड पे-3600) में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.स.	नाम लोकसेवक (सर्व श्री / सुश्री / श्रीमती)	पिता का नाम (सर्व श्री)	वर्ग	रिक्ति दिनांक
1	हितेन्द्र सिंह	नटवर सिंह	-	1.4.2022
2	नीतेश जोशी	राजेन्द्र सिंह	-	1.4.2022
3	मनीष कुमार मीणा	सत्य नारायण मीणा	एस.टी.	1.4.2022
4	सोनम कुमारी	मान सिंह	एस.टी.	1.4.2022
5	कालू राम जाट	किसना राम	-	1.4.2022
6	सत्यवीर बबेरवाल	भाता राम	एस.सी.	1.4.2022

उपरोक्त कार्यरत लोकसेवक को क्षेत्रीय वन अधिकारी-द्वितीय के पद पर पदोन्नति दिनांक से वेतन का काल्पनिक लाभ तथा नवीन पद पर कार्यग्रहण संभालने की दिनांक से वेतन का नगद लाभ देय होगा। पदोन्नत कार्मिक अपनी उपस्थिति वर्तमान पदस्थापन स्थान पर प्रस्तुत कर यथावत कार्य करते रहेंगे एवं कार्य-ग्रहण की रिपोर्ट अपने नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय प्रस्तुत करेंगे। इनका पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किया जावेगा।

कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)कार्मिक/क-2/95/पार्ट जयपुर, दिनांक 16.03.2023 के अनुसार यदि किसी कार्मिक के 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतानें हो, और उसकी पदोन्नति वर्ष 2020-21 में या उसके पश्चात् देय हो जाती है, की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसकी उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, विचार किया जायेगा और उसका वेतन पदोन्नति संबंधी पद के लिए नियत किया जायेगा किन्तु वह तीन पश्चात्पूर्ती वर्षों के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु, काल्पनिक रूप से हकदार होगा/होगी और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात् उसे ऐसी वेतनवृद्धियों के वास्तविक फायदे अनुज्ञेय होंगे, तथापि, ऐसी काल्पनिक वेतनवृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा।

अतः संबंधित कार्यालयाध्यक्ष पदोन्नत लोकसेवक का उत्पन्न संतानों के संबंध में शपथ-पत्र प्राप्त कर इनका वेतन निर्धारण उक्त अधिसूचना में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार करना सुनिश्चित करें।

६०

(मुनीश कुमार गर्ग)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 15 (12) 2022-23 / गोप्र / प्रमुवस / 8378-90 / दिनांक: 29.09.2023
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर / भरतपुर / कोटा / अजमेर।
2. उप वन संरक्षक, डूंगरपुर / धौलपुर / कोटा / प्रतापगढ़ / नागौर।
3. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी को विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
4. संबंधित लोक सेवक द्वारा कार्यालयध्यक्ष।
5. क्षेत्रीय अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. रक्षित पत्रावली।

(बृज मोहन गुप्ता)

उप वन संरक्षक (अराजपत्रित प्रस्था.)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

राजस्थान, जयपुर